न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 03/2022 **तारीख रजू:– 28.01.2022**

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. हनुमान सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. ओमप्रकाश सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. रामप्रकाश सिंह उर्फ रामसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. मान सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
5. जय सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
6. कान्ताबाई पुत्री कल्याण सिंह पत्नि कल्याण सिंह (फौत)
   6/1. बीना पुत्री कल्याण सिंह पत्नि सुरेश सिंह जाति दरोगा निवासी सुरजन भवन के पास, वार्ड नंबर 13, किशनगढ़, रेनवाल, जिला जयपुर।
7. नन्द कवंर पुत्री कल्याण सिंह पत्नि गोपाल सिंह (फौत)
   7/1. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति पंवार निवासी 25, श्रीराम नगर सी, खिरनी फाटक रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, जिला जयपुर।
8. शान्तिबाई पुत्री कल्याण सिंह पत्नि श्याम सिंह (फौत)
   8/1. भंवर सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति दरोगा निवासी 182, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।
9. विजयलक्ष्मी पुत्री कल्याण सिंह पत्नि रणधीर सिंह (फौत)
   9/1. महेन्द्र प्रताप पुत्र रणधीर सिंह जाति सोलंकी, निवासी विकास नगर, नान्तर नगर, कुन्हाडी, लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा।
10. सावित्री पुत्री कल्याण सिंह पत्नि फतेह सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी 648, बिरदी चंद की गली, चौ. रामचन्द्रजी, जयपुर, जिला जयपुर।
11. लक्ष्मीबाई पुत्री कल्याण सिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री हंसराज यादव, एडवोकेट।

प्रतिवादी:–नायब, तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.20 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं खातेदार का नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:–26.07.2024

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि–

1. यह है कि वादीगण के पिता कल्याणसिंह पुत्र रामूसिंह जाति दरोगा (राजपूत) निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के मूल निवासी थे व देश आजाद होने से पूर्व ठिकाना ईसरदा में कामदार का कार्य करते थे। वादीगण के पिता कल्याणसिंह

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

पुत्र रामूसिंह जाति दरोगा का आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित नाम मोडू उर्फ रोडू था, परन्तु वास्तविक नाम कल्याणसिंह था। वादीगण के पिता कल्याणसिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामूसिंह जाति दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 1996 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा बारानी 1, खसरा नंबर 1595/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बंजड़ 1, खसरा नंबर 1648/1/1/1/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बंजड़ 3, कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा स्थित थी, जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2026–29 के खाता संख्या 458 पर दर्ज है। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 1995/1/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। परन्तु उपरोक्त भूमि पर रोडू बल्द रामू दरोगा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है, जिसका अंकन वाके ग्राम ईसरदा की जमाबंदी संवत् 2026–2029 के खाता संख्या 529 पर दर्ज है। उक्त दोनों ही खातों पर दर्ज भूमि वादीगण के बुजुर्गान कल्याणसिंह उर्फ मोडॅ उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा की खातेदारी भूमि थी। वादीगण के पिता कल्याणसिंह उर्फ मोडॅ उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर की मृत्यु दिनांक 08.01.1990 को हो चुकी है। वादीगण के पिता कल्याणसिंह उर्फ मोडॅ उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

हनुमान सिंह पुत्र

कान्ताबाई पुत्री (फौत) → बीना पुत्री

ओमप्रकाश पुत्र

नन्दकंवर पुत्री (फौत) → राजेन्द्र पुत्र

रामप्रकाश पुत्र

मानसिंह पुत्र

शान्तिबाई पुत्री (फौत) → भंवर सिंह पुत्र

लक्ष्मी पुत्री

जय सिंह पुत्र

विजयलक्ष्मी पुत्री (फौत) → महेन्द्र प्रताप पुत्र

सावित्री पुत्री

वादी संख्या 6/1 की मां कान्ता बाई उर्फ चन्द्रकान्ता पुत्री कल्याण सिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू दरोगा पत्नि कल्याण सिंह की मृत्यु दिनांक 06.07.2018 को, वादी संख्या 7/1 की मां नन्द कंवर उर्फ नन्दूबाई पुत्री कल्याण सिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू दरोगा पत्नि गोपाल सिंह पंवार की मृत्यु दिनांक 11.05.2009 को, वादी संख्या 8/1 की मां शान्तिबाई पुत्री कल्याण सिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू दरोगा पत्नि श्याम सिंह की मृत्यु दिनांक 23.11.2002 को एवं वादी संख्या 9/1 की मां विजयलक्ष्मी पुत्री कल्याण सिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू दरोगा पत्नि रणधीर सिंह सोलंकी की मृत्यु दिनांक 14.9.2013 को हो चुकी है। वादीगण के पिता कल्याणसिंह उर्फ मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा की मृत्यु के बाद उनके विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 21.06.1990 ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा हनुमान सिंह, ओमप्रकाश सिंह, मानसिंह, जयसिंह पिसरान मोडू व कान्ताबाई, नन्दकंवर, शान्तिबाई, विजयलक्ष्मी, सावित्री, लक्ष्मीबाई पुत्रीयां मोडू कोम दरोगा साकिम देह खातेदार के नाम मुताबिक पटवार सूची राजस्व अभियान मृतक के वारिसान क नाम भरा गया। जिसमें भी वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 10, 11 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 6/1, लगायत 9/1 के नाना का नाम मोडू सिंह ही अंकित किया, क्योंकि मृतक कल्याण सिंह का प्रचलित भाषा में उपनाम मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा था, जबकि वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व वादीगण 6/1, 7/1, 8/1 व 9/1 की मां के समस्त सरकारी दस्तावेज व विद्यालय रिकॉर्ड में पिता का नाम कल्याण सिंह ही दर्ज है। इस कारण वादीगण स्वयं की खातेदारी भूमि पर भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं यथा कृषि ऋण, आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 1995/1/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5, 10, 11 के पिता तथा वादीगण 6/1 लगायत 9/1 के नाना का नाम रोडू वल्द रामू दरोगा सा0 देह खातेदार दर्ज है, जबकि उपरोक्त नाम रोडू गलत अंकित किया हुआ है। उपरोक्त कृषि भूमि भी वादीगण संख्या 1लगायत 5, 10, 11 तथा वादीगण संख्या 6/1 लगायत 9/1 के आधिपत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.20 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त अशुद्धी वादीगण संख्या 1 लगा 5 व 10, 11 के पिता तथा वादीगण 6/1 लगायत 9/1 के नाना का नाम आम बोलचाल की भाषा में मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा होने से आम बोलचाल के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वादीगण मुताबिक पहचान दस्तावेज के अनुसार मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामू दरोगा के स्थान पर उपरोक्त खातेदारी की भूमि पर वास्तविक नाम कल्याण सिंह पुत्र रामूसिंह दरोगा जाति राजपूत अंकित कराने के अधिकारी हैं। वर्तमान में वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट किया जा चुका है, जिसमें साबिक खसरा नंबर 1648 मि0 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2321 रकबा 0.45 है0, साबिक सखरा नंबर 1995 मि0 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 10 बिस्वा, 2 बीघा 8 बिस्वा, 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 3220 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 3221 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 3222 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 3223 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 3224 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 3224/5415 रकबा 0.32 है0 बना दिये तथा साबिक खसरा नंबर 1996 मि0 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 3226 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 3227 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 3228 रकबा 0.90 है0 तथा साबिक खसरा नंबर 2085 मि0 के नवीन खसरा नंबर 3360 रकबा 0.08 है0 बना दिये। वादीगण 1 लगायत 5, 10 व 11 के पिता तथा 6/1 लगायत 9/1 के नाना मोडू उर्फ रोडू उर्फ कल्याण सिंह पुत्र रामू सिंह दरोगा की मृत्यु के बाद नवीन जमाबंदी राजस्व ग्राम ईसरदा पटवार हल्का ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में वादीगण 6/1 की मां कान्ता बाई, 7/1 की मां नन्दकंवर, 8/1 की मां शान्तिबाई एवं 9/1 की मां विजयलक्ष्मी की मृत्यु हो जाने पर उनकी छोड़ी हुई कृषि भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु सम्पर्क किया तो हल पटवारी ने पिता का नाम अशुद्ध होने की जानकारी दी, जिस पर विरासत का नामान्तरकरण खोला नहीं जा सका। जिस कारण वादीगण अपने पिता का नाम दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः वादपत्र इस अमर स्वीकार फरमाया जाये कि साबिक खसरा नंबर 1648 मि0 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2321 रकबा 0.45 है0, साबिक सखरा नंबर 1995 मि0 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 10 बिस्वा, 2 बीघा 8 बिस्वा, 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 3220 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 3221 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 3222 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 3223 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 3224 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 3224/5415 रकबा 0.32 है0 बना दिये तथा साबिक खसरा नंबर 1996 मि0 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 3226 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 3227 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 3228 रकबा 0.90 है0 तथा साबिक खसरा नंबर 2085 मि0 के नवीन खसरा नंबर 3360 रकबा 0.08 है0 भूमि से वादीगण 1 लगायत 5, 10, 11 के पिता एवं 6/1 लगायत 9/1 के नाना का नाम मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामूसिंह दरोगा को खातेदारी से हजफ किया जाकर कल्याणसिंह पुत्र रामू सिंह दरोगा जाति राजपूत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में अंकन फरमाया जावे एवं तदनुसार जमाबंदी में कल्याण सिंह अंकित फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर जवाब/रिपोर्ट चाहा गया।

3. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/3543 दिनांक 30.12.2022 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है, जिसके अनुसार "ग्राम ईसरदा के अन्य मौतविरान से पूछताछ करने पर बताया कि वादीगण के पिता कल्याणसिंह पुत्र रामूसिंह दरोगा ईसरदा ठिकाने में काम [illegible] की भाषा में मोडूसिंह भी कहते थे। लेकिन वादीगण के पास मोडूसिंह [illegible] व कल्याणसिंह पुत्र रामूसिंह एक ही व्यक्ति है, का कोई [illegible] ईसरदा के साबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2026–29 [illegible] दरोगा एवं खाता संख्या 529 में रोडू बल्द रामू दरोगा [illegible] है। ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा 09.03.2021 को कल्याणसिंह पुत्र रामसिंह दरोगा के न[illegible]से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें वादीगण के पिता कल्याणसिंह बताये गये हैं। मोडूसिंह का उल्लेख नहीं किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 1094 में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है, जो साबिक राजस्व रिकॉर्ड मोडू पुत्र रामू दरोगा सा0 देह खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 3539 निर्णय दिनांक 31.06.1990 को राजस्व खातेदार वर्तमान में रिकॉर्ड खाता संख्या 867 में खसरा नंबर 3223/0.10, 3224/5415/0.32, 3260/0.20 किता 3 रकबा 0.62 में निरन्तर चला आ रहा है। मोडू सिंह बल्द रामू दरोगा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.20 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

वारिसान में कान्ताबाई, नन्दकंवर, शान्तिबाई, विजयलक्ष्मी पुत्रियान मोडू मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र फोत हो चुकी है। शेष वारिसान हनुमान सिंह, ओमप्रकाशसिंह, मानसिंह, जयसिंह पि0 मोडूसिंह व सावित्री, लक्ष्मीबाई पुत्रियान मोडूसिंह जीवित है। मृतक व जीवित वारिसान के राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड में पिता का नाम कल्याणसिंह दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मोडूसिंह दर्ज है। "

4. यह है कि वादीगण ने अपने साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जो निम्नानुसार है–

   - **पी0डब्ल्यू0–1:–जय सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति दरोगा राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
   - **पी0डब्ल्यू0–2:–महावीर पुत्र कपूर चन्द जैन जाति महाजन उम्र 68 वर्ष निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**

5. यह है कि वादी संख्या 5 द्वारा अपने बयान दर्ज करवाकर प्रदर्श अंकित करवाये है, जो निम्नानुसार है–
   - प्रदर्श–1:– जमाबंदी संवत् 2026–29 खाता संख्या 529
   - प्रदर्श–2:– जमाबंदी संवत् 2026–29 खाता संख्या 458
   - प्रदर्श–3:– नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 21.06.1990
   - प्रदर्श–4:– मिलान क्षेत्रफल
   - प्रदर्श–5:– जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 1094 ग्राम ईसरदा
   - प्रदर्श–6:– परिवार राशन कार्ड हनुमान सिंह
   - प्रदर्श–7:– ग्राम पंचायत ईसरदा का प्रमाण पत्र दिनांक 31.01.2022
   - प्रदर्श–8:– आधार कार्ड हनुमान सिंह
   - प्रदर्श–9:– आधार कार्ड मान सिंह
   - प्रदर्श–10:– आधार कार्ड जय सिंह
   - प्रदर्श–11:– आधार कार्ड रामसिंह
   - प्रदर्श–12:– परिवार राशन कार्ड हनुमान सिंह
   - प्रदर्श–13:– ड्राईविंग लाईसेंस कल्याण सिंह
   - प्रदर्श–14:– जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 867 ग्राम ईसरदा

6. बहस वकील सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

7. मेने वादीगण के विद्वान अधिकवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी सवंत् 2026–2029 के खाता संख्या 529 में विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 1995/1/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा रोडू बल्द रामू दरोगा के नाम दर्ज थी, जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 867 के खसरा नंबर 3223, 3224/5415, 3260 कुल किता 03 कुल रकबा 0.62 है0 में रोडू पुत्र रामू के नाम चली आ रही है। जमाबंदी संवत् 2026–2029 के खाता संख्या 458 में विवादित आराजी खसरा नंबर 1996, 1595/2, 1648/1/1/1/2 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा मोडू पुत्र रामू दरोगा के नाम दर्ज थी। मोडू पुत्र रामू की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 3539, जिसे दिनांक 21.06.1990 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है, के माध्यम से विरासत से विवादित आराजी 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम हुई है। [illegible] खाता संख्या 1094 खसरा नंबर 2321, 3224, 3226, 3227, 3228 कुल किता [illegible] रकबा 2.42 है0 वादीगण के नाम दर्ज है। साबिक खसरा नंबर 2085 [illegible] खसरा नंबर 3360 रकबा 0.08 है0 बनना वादीगण द्वारा बताया गया है। उक्त साबिक [illegible] खसरा नंबर वादीगण के पूर्वजों या वादीगण के नाम खातेदारी होने का कोई साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः खसरा नंबर 3360 रकबा 0.08 के संबंध में कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.20 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested

8. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के पिता कल्याणसिंह पुत्र रामूसिंह दरोगा ईसरदा ठिकाने में कामदार का कार्य करते थे। इन्हे बोलचाल की भाषा में मोडूसिंह भी कहते थे। वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य महावीर प्रसाद पुत्र कपूर चंद जैन (पी0डब्ल्यू02), जो कि ग्राम ईसरदा में उचित मूल्य की दुकान का डीलर है, के

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

द्वारा रोडू उर्फ मोडू पुत्र रामू का वास्तविक नाम कल्याण सिंह होना बताया है। सरपंच, ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.01.2022 में भी मोडू उर्फ रोडू पुत्र रामू जाति दरोगा का असली नाम कल्याण सिंह पुत्र रामू सिंह होना बताया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा हनुमान सिंह राजावत का आधार कार्ड, मानसिंह का आधार कार्ड, ओम प्रकाश सिंह का आधार कार्ड, जय सिंह का आधार कार्ड, राम सिंह का आधार कार्ड, हनुमान सिंह का परिवार राशन कार्ड से भी इनके पिता का नाम कल्याण सिंह ही होना पाया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जमाबंदी जमाबंदी संवत् 2026–29 खाता संख्या 529 में खातेदार रोडू एवं जमाबंदी संवत् 2026–29 खाता संख्या 458 में खातेदार मोडू का नाम गलत दर्ज है, जिसका सही नाम कल्याण सिंह है। अतः उक्त साबिक खसरा नंबरों से बने हाल खसरा नंबरों में रोडू उर्फ मोडू का नाम कल्याण सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

वादीगणों का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम ईसरदा के खाता संख्या 1094 के खसरा नंबर 2321 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 3224 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 3226 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 3227 रकबा 0.1 है0 एवं खसरा नंबर 3228 रकबा 0.90 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.42 है0 में वादीगण के पिता का नाम मोडू के स्थान पर कल्याण सिंह एवं खाता संख्या 867 के खसरा नंबर 3223 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 3224/5415 रकबा 0.32 है0 एवं खसरा नंबर 3260 रकबा 0.20 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.62 है0 में रोडू पुत्र रामू जाति दरोगा के स्थान पर कल्याण सिंह पुत्र रामू जाति दरोगा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.20 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested